रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1071] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2014/वैशाख 25, 1936
No. 1071] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2014/VAISAKHA 25, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2014

का.आ. 1290 (अ).—अन्तराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम,1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451(अ.) तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अन्तरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था ;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 30 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दिया था ;

और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित संदर्भ उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को दिनांक 29 मार्च, 2011 को भेज दिये गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 29 मार्च, 2011 से एक वर्ष या उस तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था ;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ.653 (अ) तारीख 29 मार्च, 2012, का.आ. 2339 (अ) तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2013, का.आ. 3515 (अ) तारीख 27 नवम्बर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक बढाई गई थी जिसे जल संसाधन मंत्रालय के 5 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक बढ़ा दिया गया था ;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट 29 नवंबर, 2013 को केन्द्र सरकार को अग्रेषित कर दी है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अधिकरण द्वारा रिपोर्ट अग्रेषित किए जाने के बाद और केन्द्र सरकार का यह समाधान होने पर कि इस मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त संदर्भ भेजा जाना आवश्यक नहीं होगा, केन्द्र सरकार अधिकरण का विघटन कर देगी ;

और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 में यह प्रावधान किया गया है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संदर्भित निबंदनों के अनुसार बढ़ाया जाएगा ;

और केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त दो वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधिकरण की अवधि बढाना आवश्यक मानती है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 1 अगस्त, 2014 से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि (अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाती है जिससे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश के निबंधनों को व्यवहार में लाया जा सके ।

[फा.सं. 17/1/2007-बी.एम.]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2014

S.O. 1290(E).—

Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) hereinafter referred to as the said Act, for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal has submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective references, to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notifications number S.O 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339 (E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916 (E), dated the 2nd April, 2013 and S.O. 2939 (E), dated the 27th September, 2013 and S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014, which was further extended up to 31st July, 2014, vide Ministry of Water Resources order dated 5th February, 2014;

And, whereas, the said Tribunal has forwarded to the Central Government its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;

And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary ;

And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;

And, whereas, the Central Government considers it necessary to extend the tenure of the Tribunal for two years or until further orders whichever is earlier;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of two years (or until further orders, whichever is earlier) with effect from the 1st August, 2014 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the Section

[F. No. 17/1/2007-BM]

URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.